उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन भवन, टेहरी कोठी, लखनऊ– 226001
पी0बी0एक्स: 2622363, 2628461, 2225439
फैक्स: 0522 – 2274526, 2628841, 2274578
ई–मेल: upsrtc@netscape.net

उ0प्र0 परिवहन निगम
आपकी अपना साथी

संख्याः–1307 एमटी/2012–140 एमटी/91

दिनॉक 13 जुलाई 2012

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0 प्र0 परिवहन निगम।

2. समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0 प्र0 परिवहन निगम।

3. समस्त सहायक क्षेत्रीय–प्रबन्धक (डिपो)
उ0 प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– चालकों द्वारा वाहन संचालन में सावधानी न बरतने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा जाता है कि चालकों द्वारा वॉछित सावधानी न बरतने के कारण बस संचालन में बस बाडी में स्कैच, पैन्ट पर रगड़ एवं जगह–जगह से वाहन क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा ऐसे चालकों के विरूद्ध कार्यवाही न होने के कारण इनके द्वारा वाहनों को सावधानीपूर्वक नहीं चलाया जाता है, जिससे वाहन की भौतिक दशा खराब होती है।

वाहन की भौतिक दशा में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय स्तर पर किसी बस को मार्ग से आने के उपरान्त उसकी बाडी में किसी प्रकार की कमी परिलक्षित होने पर गहन छान–बीन तथा समीक्षा की जाय एवं जिस चालक द्वारा वाहन संचालन में बस बाडी की दशा खराब हुई है, उसके विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जाय, जिससे सभी चालकों द्वारा वाहन संचालन में सर्तकता बरती जाय तथा बसों की भौतिक दशा में सुधार परिलक्षित हो।

(1) किसी भी चालक द्वारा वाहन संचालन में वाहन मार्ग से वापस लाने पर प्रथमबार वाहन में कमी पाये जाने पर यदि रू0 500/– तक की क्षति होती है तो वाहन संचालन करने वाले चालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए सावधानीपूर्वक वाहन संचालन हेतु निर्देशित किया जाय तथा रू0 500/– से अधिक क्षति होने पर क्षति की रिकवरी करते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी निर्गत की जाय।

(2) यदि उसी चालक द्वारा वाहन संचालन में वाहन मार्ग से वापस लाने पर दूसरी बार वाहन में कमी पायी जाती है तो ऐसी दशा में वाहन में हुई सम्पूर्ण क्षति की रिकवरी करते हुए वाहन संचालन करने वाले चालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी निर्गत की जाय।

(3) यदि उसी चालक द्वारा वाहन संचालन में वाहन मार्ग से वापस लाने पर तीसरी बार वाहन में कमी पायी जाती है तो सम्पूर्ण क्षति की रिकवरी करते हुए यदि संविदा चालक है तो उसे एक माह हेतु संचालन से मुक्त रखा जाए तथा भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक वाहन संचालन हेतु कड़ी चेतावनी दी जाय तथा यदि नियमित चालक है तो उसे इस बात की नोटिस दी जाय कि पुनः वाहन की भौतिक दशा खराब होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(क्रमशः 2 पर)

(4) यदि उसी चालक द्वारा वाहन संचालन में वाहन मार्ग से आने पर एक वर्ष में चौथी बार वाहन में कमी पायी जाती है तो वाहन में हुई क्षति की सम्पूर्ण धनराशि की रिकवरी करते हुए यदि संविदा चालक द्वारा वाहन संचालित की जा रही थी तो चालक की संविदा समाप्त कर दी जाय तथा नियमित चालक द्वारा वाहन संचालित किये जाने की दशा में उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा हेतु डिपो स्तर पर एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें वाहनवार, तिथिवार विवरण अंकित हो, जिससे कि वाहन किसी वरिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण के समय पायी गयी कमी पर समीक्षा की जा सके तथा कृत कार्यवाही का भी अवलोकन कियां जा सके।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आलोक
O/C (आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

(5)